संख्या-42/2017/769 /12-3-2017-100(41)/2017

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
**उत्तर प्रदेश**, **लखनऊ।**

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: **01** अगस्त, 2017

विषय- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-566/12-3-2017-100(41)/2017, दिनांक 05.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 05.06.2017 द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 499.17 लाख अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 05.06.2017 में त्रुटिवश शासनादेश के प्रस्तर संख्या-1 में उल्लिखित तालिका में धनराशि हजार रू0 में तथा शासनादेश के प्रस्तर संख्या-5 में वर्ष **2016-17** एवं आर.ए.डी.पी. अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 05.06.2017 में प्रस्तर संख्या-1 में अंकित धनराशि हजार रू0 में के स्थान पर धनराशि लाख रू0 में तथा प्रस्तर संख्या-5 में अंकित वर्ष **2016-17** के स्थान पर वर्ष **2017-18** एवं आर.ए.डी.पी. की अनुमोदित कार्य योजना के स्थान पर आर.ए.डी. की अनुमोदित कार्य योजना पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-566/12-3-17-100(41)/2017, दिनांक 05.06.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- शासनादेश दिनांक 05.06.2017 के शेष प्राविधान/शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

( **ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी** )
विशेष सचिव।

सं0-42/2017/769(1)/12-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
7- अपर कृषि निदेशक (भू.सं.), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- संयुक्त कृषि निदेशक, (राष्ट्रीय जलागम), कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
13- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

**( डा0 राम चन्द्र शुक्ल )**
अनु सचिव

**1-** यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
**2-** इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in